राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 899/2024

सांवर मल जाट —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका कॉलेज, चौमू, जयपुर।
5. श्री सुरेश शर्मा, राजकीय बालिका कॉलेज, चौमू, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य (संस्कृत) के पद पर राजकीय बालिका कॉलेज, चौमू, जयपुर में दिनांक 06.10.2021 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय कॉलेज, तारानगर जिला चूरू में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के उद्देश्य से 250 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। कॉलेज शिक्षा स्थानान्तरण परिपत्र दिनांक 01.10.2020 (अनुलग्नक—5) के द्वारा यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की एक स्थान पर रहने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से कम है तो कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा, का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो विधि—विरूद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर राजकीय प्रवेशिका विद्यालय, चौमू, जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक—6)। राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति—पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें एक ही स्थान पर या आस—पास पदस्थापित किया जावें। अपीलार्थी की माताजी कैंसर रोग से पीड़ित है। जिनका ईलाज सवाई मानसिंह

अस्पताल, जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी की माताजी की देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक आचार्य (संस्कृत) के पद पर राजकीय बालिका कॉलेज, चौमू, जयपुर से निरन्तर कार्य करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य (संस्कृत) के पद पर राजकीय बालिका कॉलेज, चौमू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय कॉलेज, तारानगर जिला चूरू में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्‌देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."***

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 250 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य